न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 22.08.2022

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 बाबा कचौरी सेन्टर,बस स्टेण्ड पीपलू टोक जिला टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय लोहे की भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी– स्वंय

निर्णय **दिनांक : 10.10.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 06.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यायल टोंक द्वारा मै0 बाबा कचौरी सेन्टर, बस स्टेण्ड पीपलू, टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 1 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर गैस भट्टी के माध्यम से जुडा हुआ था। मौके पर होटल पर श्री शान्ति लाल कुमावत मालिक बाबा कचौरी सेन्टर, बस स्टेण्ड पीपलू स्वंय मौजूद मिलें जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में व्यवसायिक रूप से प्रयोग करने के कारण उक्त 1 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं लोहे की भट्टी सहित जब्त कर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	23314S	(IOCL)	14.2	17.10	25.9	8.8
योग						8.8

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्यो में दुरूपयोग कर एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 06.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यायल टोंक द्वारा मै0 बाबा कचौरी सेन्टर, बस स्टेण्ड पीपलू, टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 1 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर गैस भट्‌टी के माध्यम से जुडा हुआ था। मौके पर होटल पर श्री शान्ति लाल कुमावत मालिक बाबा कचौरी सेन्टर, बस स्टेण्ड पीपलू स्वंय मौजूद मिलें जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में व्यवसायिक रूप से प्रयोग करने के कारण उक्त 1 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं लोहे की भट्‌टी सहित जब्त कर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्यो में दुरूपयोग कर एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस कारण उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 8.8 Kg एलपीजी गैस, रबर पाईप, रेगुलेटर एवं लोहे की भट्‌टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय 1 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक चन्देल इण्डेन गैस पीपलू के प्रतिनिधि श्री भागचनन्द बुनकर पुत्र श्री रामफुल बुनकर निवासी पीपलू की सुपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करे। श्री शान्ति लाल कुमावत मालिक बाबा कचौरी सेन्टर ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 1 घरेलू

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गैस सिलेण्डर मय 8.8 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व लोहे की भट्‌टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया। फर्द मौका जप्ती दि0 06.08.2022 के अनुसार मै0 बाबा कचौरी सेन्टर, बस स्टेण्ड पीपलू, टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जॉच /निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में व्यवसायिक कार्यो में प्रयोग करने के कारण उक्त 1 सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	23314S	(IOCL)	14.2	17.10	25.9	8.8
योग						8.8

जांच करने पर दुकान मे मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मनीष कुमावत तथा भागचन्द के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी मनीष कुमावत,शान्तिलाल व भागचन्द के हस्ताक्षर है। चन्देल इण्डेन गैस एजेन्सी पीपलू के प्रतिनिधि भागचन्द बुनकर को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से व्यवसायिक कार्यो में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 1 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 8.8 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:06 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)